


| तारीख<br>हुक्म     | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जंज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाय जो इस हुक्म<br>की तारीख में जारी हुए  |
|--------------------|--|--|
| 12 $\frac{12}{23}$ | <p>           पत्रावली <del>के</del> कावा (वापु-पत्र) के निषेध तककी कावेन के साथ पैरा हुई। मुख वाउ को नोट त्रेप कंडन के काबाए पा खाजि किया। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA Act का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाउ के नोट त्रेप कंडन पा खाजि के काबाए प्रार्थना-पत्र 212 RTA Act को खाजि किया जागा है। पत्रावली संवाष शुभारंभ के नम्बर के कम से, काफिल दफ्तर है।         </p> | <p>           नोटिस<br/>शजकुमार<br/>राध्याज<br/>जवाहर         </p> <p> <br/>           सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)<br/>           डॉलारामगढ़ (सीकर)         </p> |